उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन
अपर आमवाला, नालापानी, देहरादून–248008

विज्ञापन संख्या–05 / 2021

वाक–इन–इन्टरव्यू

केन्द्र में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुबन्ध के आधार पर 01 जूनियर प्रोजेक्ट फैलो (जे.पी.एफ.) की आवश्यकता है। इस हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो निम्नानुसार वर्णित योग्यता रखते हों, वे अपने आवेदन पत्र, जो निदेशक उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून को सम्बोधित हों, के साथ अपने मूल अभिलेखों, अन्य प्रमाण पत्रों एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दिनांक 03.12.2021 को पूर्वान्ह 10:30 बजे वाक–इन–इन्टरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं।

क्र. सं.	पद / संख्या	योग्यता	नियत मानदेय
1	जूनियर प्रोजेक्ट फैलो (01)	**अनिवार्य–** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.एससी / फॉरेस्ट्री / ईकोलॉजी / वनस्पति / पर्यावरण विज्ञान / बायोडाईवर्सिटी एवं कन्जरवेशन। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में रिमोट सेसिंग और जी.आई.एस. में एम.एस.सी. / एम.टेक **अधिमानी–** विभिन्न इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेसिंग तथा जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का वैज्ञानिक कौशल। अच्छे मौखिक और लिखित कम्यूनिकेशन स्किल्स। उत्तराखण्ड के पर्वतीय रीजन्स में फील्ड कार्य करने की योग्यता।	जे.पी.एफ.– रू0 20,000 / – + 16% की दर से मकान किराया भत्ता प्रतिमाह

अन्य शर्तें–

1. आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त अस्थायी पद परियोजना अवधि हेतु अनुबन्ध के आधार पर हैं। वर्णित पोजीशन्स पर नियुक्ति प्रथमतः 06 माह की अवधि हेतु की जाएगी। परियोजना की आवश्यकता एवं मानवशक्ति के संतोषजनक कार्य के उपरान्त अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है। वर्णित परियोजना कर्मियों का मूल्यांकन निदेशक, यू–सैक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा और कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ही नियुक्ति अवधि केन्द्र निदेशक के अनुमोदन से बढ़ायी जाएगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर केन्द्र को उनका अनुबन्ध कभी भी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। परियोजना की निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त उक्त पोजीशन्स स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।
4. जूनियर प्रोजेक्ट फैलो की पोजीशन्स हेतु अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आयु में नियमानुसार छूट उपलब्ध होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी को परियोजना कार्यो हेतु फील्ड–विजिट/टूर पर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। जिसमें फील्ड–विजिट अत्यधिक है, जिस हेतु उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
6. उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत आबद्धित किसी अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में किसी पद पर संविलियन/नियमतीकरण नही की जायेगी।
7. रिक्ति को न भरने का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित हैं।
8. समस्त प्रकरणों पर निदेशक, यू–सैक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू–सैक